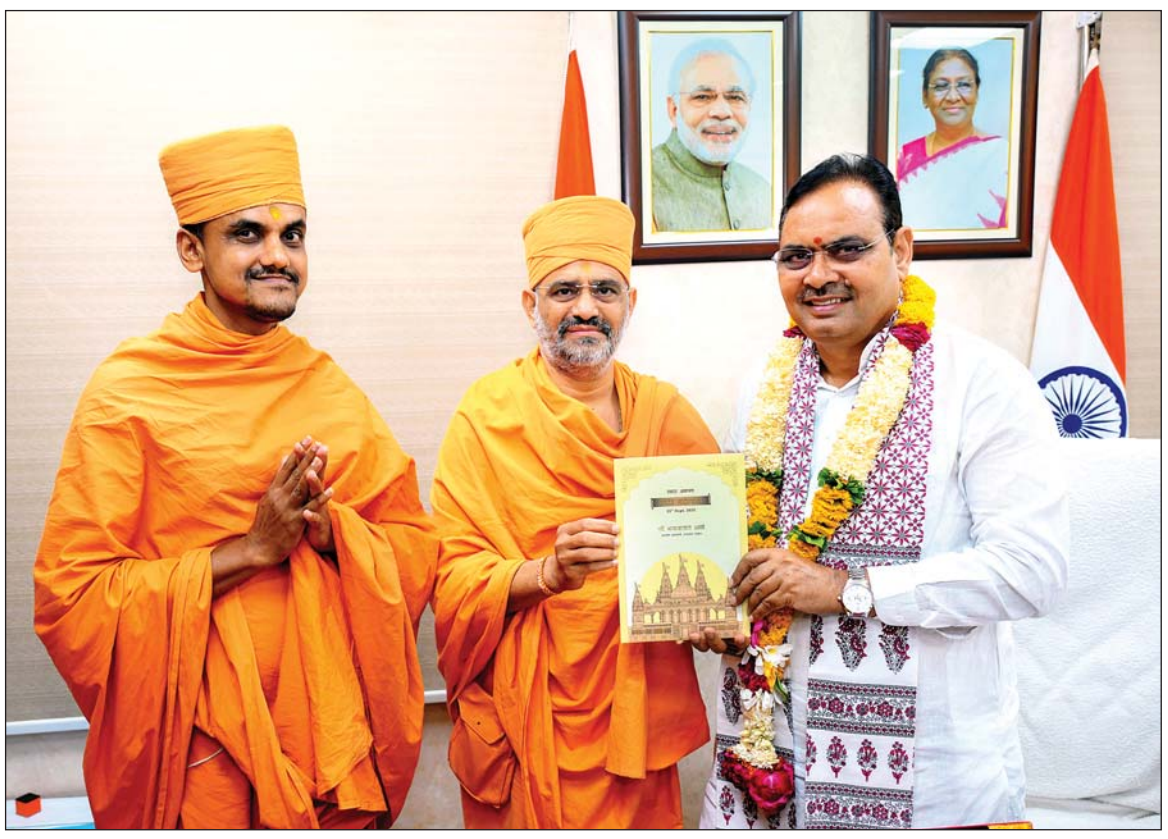

स्वामीनारायण मंदिर के संत उज्जैन अक्षर प्रेम स्वामी और पूज्य विनम्रवदन स्वामी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और 25 सितंबर को होने वाले जोधपुर अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन को लेकर आमंत्रण पत्र भेंट किया। स्वामी ने मुख्यमंत्री को मंदिर का प्रसाद और प्रसादिक माला से अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने निमंत्रण को सहज स्वीकार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने गया महाबोधि मंदिर बौद्धों को सौंपने से इन्कार किया

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हम ये याचिका नही सुन सकते हैं, पर आप को पटना हाईकोर्ट जाने की अनुमति है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 जून। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार और बिहार सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि बिहार के ऐतिहासिक महाबोधि महावीर मंदिर, बोधगया, का नियंत्रण और प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता दी है।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई यह याचिका स्वीकार्य नहीं है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुंदरेश ने टिप्पणी की, "हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार्य नहीं है। हम कैसे एक निर्देश जारी कर सकते हैं? कृपया हाई कोर्ट जाइए।"

- **सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बैंच ने कहा कि याचिका, जो आर्टिकल 32 के तहत दर्ज की गई है, आर्टिकल 32 के तहत ही सुनवाई योग्य नहीं, आप पटना हाईकोर्ट जाएं।**
- **याचिका में बोध गया टैम्पल एक्ट 1949 में संशोधन कर मंदिर का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को देने की मांग की गई थी।**
- **मंदिर, जो युनैस्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट है, के प्रबंधन में बौद्ध व हिंदू दोनों शामिल हैं। बौद्धों का मत है कि इससे उनके धार्मिक अधिकार कमज़ोर होते हैं।**

अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "हम इसे स्वीकार नहीं करते। याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने की स्वतंत्रता दी जाती है।"

यह याचिका सुलेखाताई नलिनीताई नारायणराव कुम्भारे द्वारा दाखिल की गई थी, जिन्होंने शीर्ष अदालत से यह अनुरोध किया था कि बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 में संशोधन का निर्देश दिया जाए, ताकि महाबोधि मंदिर का नियंत्रण और प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जा सके, जिससे उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा हो सके। वर्तमान में महाबोधि मंदिर, जो कि एक यूनैस्को विश्व धरोहर स्थल है और बौद्ध धर्म का एक पवित्रतम स्थल माना जाता है, वर्ष 1949 के अधिनियम के अंतर्गत संचालित होता है। इस अधिनियम के तहत मंदिर का प्रबंधन बिहार सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रबंधन समिति के अधीन है, जिसमें हिंदू और बौद्ध, दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व होता है। याचिका में तर्क दिया गया कि मौजूदा प्रबंधन व्यवस्था बौद्धों के धार्मिक अधिकारों को कमजोर करती है और मंदिर का पूरा नियंत्रण केवल बौद्ध समुदाय को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थल वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस चरण में हस्तक्षेप करने से इन्कार करने के बाद, याचिकाकर्ता को अब पटना उच्च न्यायालय में अपनी बात रखने का विकल्प उपलब्ध है।

'मैं भी डिजिटल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वे भी डिजिटल ठगी का शिकार होते-होते बचे हैं। एक बार उनके पास भी ऐसा एक कॉल आया था। फर्जी कॉल का एहसास होने पर उन्होंने तुरंत ही अपना मोबाइल रजिस्ट्रार को दे दिया।

दरअसल हाईकोर्ट ने इस साल जनवरी में डिजिटल अरेस्ट व साइबर क्राइम के देशभर में बढ़ते मामलों और सैकड़ों लोगों से ठगी होने पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इससे हजारों निर्दोष लोगों ने न केवल अपनी कमाई गंवा दी, बल्कि कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई हैं। डिजिटल अरेस्ट व साइबर क्राइम से हर क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में इनसे हो रहे अपराधों से आमजन को बचाने और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार ने इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी रोकथाम के लिए ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। आरबीआई के स्तर पर भी गंभीर कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ऐसे जालसाजी वाले लेनदेन के पैसे को ट्रांसफर न किया जाए और धोखाधड़ी करने वाले लेन-देन पर रोकथाम लगे।

तेलंगाना में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मतदाताओं के लिए बोल रहा हूं। जो हमारे साथ आस्था के साथ खड़े थे और जो आज निराश महसूस कर रहे हैं। पार्टी से इस्तीफा देने के ऐलान के साथ ही टी राजा सिंह ने जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने कहा,भले ही मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं, लेकिन मैं हिंदुत्व की विचारधारा और हमारे धर्म और गोशामहल के लोगों की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा और हिंदू समुदाय के साथ और भी अधिक मजबूती से खड़ा रहूंगा।

राजीव शर्मा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शर्मा सन् 1990 बैच के राजस्थान कैडर के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। राजीव शर्मा भरतपुर और बीकानेर में आईजी रह चुके हैं। इसके अलावा, वे एसपी के रूप में झालावाड़, दौसा, राजसमंद, जयपुर ट्रैफिक, भरतपुर और जयपुर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

राज्य सरकार ने गुर्जरों की मांगों पर विचार के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई

कमेटी में कानून मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत तथा गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को शामिल किया गया है

जयपुर, 30 जून। गुर्जर सहित एमबीसी (मोस्ट बैकवर्ड क्लास) में शामिल सभी वर्गों की मांगों पर विचार कर समाधान सुझाने के लिए सरकार ने तीन मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। इस कैबिनेट सब कमेटी में कानून मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को शामिल किया गया है।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म खुद गुर्जर समाज से हैं और पहले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुआई में हुए गुर्जर आंदोलनों में सक्रिय रह चुके हैं। उन्हें गृह राज्य मंत्री के तौर पर कमेटी में शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि एमबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने सहित कई मांगों को लेकर 8 जून को भरतपुर के बयाना के कारवारी शहीद स्मारक (पीलूपुरा) में महापंचायत हुई थी।

- **8 जून को बयाना में हुई गुर्जर महापंचायत में एम.बी.सी. आरक्षण बिल को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करवाने, आरक्षण आंदोलन में हुए समझौते की सही अनुपालना करने तथा गुर्जर आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के आश्रितों को अनुकंपा नौकरी देने की मांग की गई थी।**

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने लोगों को सरकार का ड्राफ्ट पढ़कर सुनाया था और इसके बाद समाज की सहमति के बाद महापंचायत को समाप्त कर दिया। सरकार के मसौदे का एक गुट ने विरोध किया था और नाराज होकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था।

गुर्जरों की मांगो में जो प्रमुख मांगे हैं, उनमें एमबीसी आरक्षण विधायक को नौवीं अनुसूची में शामिल करने। आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए समझौते की सही तरीके से पालना, सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ देने, देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वन करने, आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने, गुर्जर आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के आश्रितों को सरकार में अनुकंपा नियुक्ति देने तथा रीट भर्ती 2018 में बचे हुए 372 पदों पर नियुक्ति करने की मांगें प्रमुख हैं।

अमृतसर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया जा रहा था, जो पहले से ही गोइंदवाल साहिब जेल में बंद है और जेल के अंदर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर इस नेटवर्क को लगातार चला रहा था। उन्होंने बताया कि जेल अधिकारियों की मदद से उसका फोन बरामद कर लिया गया है और कनाडा-पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क की गहराई से जांच के लिए उसका प्रोडक्शन वारंट हासिल किया गया है।

ये "हाईकमान"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी में चर्चा थी कि सोनिया गांधी किसी और पर भरोसा नहीं कर रही थीं कि वह पार्टी अध्यक्ष बने और बाद में, जब राहुल का मानस बदल जाये, और वे पार्टी अध्यक्ष बनने के लिये राजी हो जायें, तो वह कुर्सी राहुल गांधी को सौंप दे।

बाद में चुनाव हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया और सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को फोन कर के उन्हें खड़गे के पक्ष में समर्थन देने के लिए कहा। खड़गे "अनाधिकारिक रूप से" आधिकारिक नेतृत्व की पसंद थे।

वास्तव में कांग्रेस के असली अध्यक्ष राहुल गांधी ही हैं। सारे फैसले वे और उनकी टीम ही लेती है।

हालाँकि, सही कहा जाए तो ज़्यादातर फैसले राहुल गांधी के सबसे करीबी सहयोगी और उनके "दाएं हाथ" बन चुके के. सी. वेणुगोपाल द्वारा लिए जाते हैं।

कई बार, खड़गे द्वारा सुझाए गए नामों और सूचियों को वेणुगोपाल रद्द कर देते हैं।

उन्हें राहुल गांधी की पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई है और वे अपने मनमाफिक फैसले लेते हैं।

यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी खुद पार्टी के रोज़मर्रा के निर्णयों या घटनाक्रमों में दिलचस्पी नहीं लेते।

यह सब काम वेणुगोपाल को सौंपा हुआ है।

एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि सोनिया गांधी 21 वर्षों तक अध्यक्ष रहीं, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष हैं - तो वे सभी मिलकर निर्णय लेते हैं और इसी समूह को हाई कमान कहा जा सकता है।

नियमों के तहत उन्होंने वेणुगोपाल को हाई कमान में शामिल नहीं किया।

यह है देश की सबसे शानदार अतीत वाली राजनीतिक पार्टी की मौजूदा दयनीय स्थिति, जहाँ न फैसले लिए जाते हैं, न चुनाव जीते जाते हैं, न ही भाजपा के स्लीपर सेल्स को बाहर निकाला जाता है, और जहाँ न कोई जवाबदेही है, न जिम्मेदारी, और सबसे जरूरी बात, निर्णय लेने में मदद करने वाला कोई थिंक टैंक भी नहीं है।

वेणुगोपाल को खुली छूट मिली हुई है और पार्टी आराम से ढलान की ओर जा रही है!!

ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे अगर खुद को हाई कमान न मानें, तो कोई उन्हें दोष नहीं दे सकता!

एक जुलाई से रेल किराए में वृद्धि

नयी दिल्ली, 30 जून। भारतीय रेलवे के लंबी दूरी के यात्री किरायों में एक जुलाई से वृद्धि की गयी है। बड़े शहरों की उपनगरीय तथा मासिक या त्रैमासिक सीज़न टिकट की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। रेल मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे ने एक जुलाई से मेल-एक्सप्रेस गाड़ियों के अनारक्षित द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी एवं गैर वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किराये में एक पैसा प्रति किलोमीटर तथा सभी प्रकार की वातानुकूलित श्रेणियों में दो पैसे प्रति किलोमीटर की एक समान वृद्धि की है।

सूत्रों के अनुसार साधारण पैसेंजर श्रेणी की ट्रेनों में अनारक्षित श्रेणी के टिकट की दरों में 500 किलोमीटर तक की दूरी की यात्रा के लिए कोई वृद्धि नहीं की गयी है, जबकि 501 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक दूरी के टिकट पर पांच रुपये, 1501 से 2500 किलोमीटर के टिकट के लिए 10 रुपये तथा 2501 से 3000 किलोमीटर तक किराये पर 15 रुपये बढ़ाये गये हैं। इन्हीं गाड़ियों के स्लीपर श्रेणी और प्रथम श्रेणी के किरायों में आधा पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है।

पीड़िता के कॉलेज में एडमीशन के समय से ही आरोपी की उस पर नज़र थी

पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी ने दुष्कर्म की साजिश कई दिन पहले ही रच ली थी

कोलकाता, 30 जून। पश्चिम बंगाल में शहर के 'लॉ कॉलेज' में एक छात्रा के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार चार लोगों में से तीन ने इसकी सुनियोजित योजना बनायी थी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आज यह जानकारी दी। बताया गया है कि आरोपी मोनोजीत मिश्रा कई दिनों से युवती पर यौन संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। मोनोजीत पूर्व छात्र नेता है और वकील है। लड़की के लगातार इनकार करने पर मोनोजीत ने कथित तौर पर 'बदला लेने' के लिए 25 जून को उस पर हमला किया।

विशेष जांच दल (एसआईटी) के एक अधिकारी ने कहा, पूरी घटना पूर्व नियोजित थी। आरोपी कई दिनों से इस हमले की साजिश रच रहे थे। हमारी जांच से पता चला है कि पीड़िता के कॉलेज में दाखिला लेने के समय से ही मोनोजीत ने उस पर निशाना साध रखा था।

- **पुलिस ने बताया कि जिस गार्ड रुम में यह अपराध हुआ, मोनोजीत वहां पहले भी ऐसे अपराध कर चुका है।**
- **पुलिस को एक और छात्रा मिली है जिसके साथ भी मोनोजीत ने दुष्कर्म किया था। मोनोजीत के विरुद्ध दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट के कई मामले दर्ज हैं।**

पुलिस के अनुसार मोनोजीत ने लॉ छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, जबकि सह-आरोपियों प्रमित मुखर्जी और जयिब अहमद ने कथित तौर पर दुष्कर्म की फिल्म बनायी थी। वीडियो को उनके प्राइवेट ग्रुप में दिखाया गया और पीड़िता को चुप रहने के लिए भी डराया-धमकाया गया था। जांच से पता चला है कि मोनोजीत से जुड़ी यह ऐसी पहली घटना नहीं थी। जिस गार्ड रूम में पीड़िता पर हमला हुआ था, उसका इस्तेमाल पहले भी कई बार इसी तरह की हरकतों के लिए किया जा चुका है, क्योंकि यह जगह सीसीटीवी की निगरानी में नहीं है।

एसआईटी ने कम से कम एक और पीड़िता की पहचान की है, जिसका दावा है कि मोनोजीत ने उसी स्थान पर उसका यौन शोषण किया था। घटना के बाद कथित तौर पर मोनोजीत ने एक राजनीतिक व्यक्ति से संपर्क किया था, जिसने पहले भी उसे कानूनी शिकंजे से बाहर निकालने में मदद की थी। इस बार उस नेता ने हालांकि हस्तक्षेप नहीं किया। पुलिस अब तीनों मुख्य आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही है, ताकि उससे किसी भी प्रभावशाली संबंध का पता लगाया जा सके।

'भारत के संविधान के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समाहित किया जाना चाहिए - और कुछ मौकों पर "धर्म-आधारित ढांचे" का भी संकेत दिया गया है।

भाजपा जो आरएसएस की राजनैतिक प्रतिनिधि है संविधान को स्वीकार करती है, लेकिन उसने ऐतिहासिक रूप से प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द हटाने की मांग की है।

कई भाजपा नेताओं ने इन शब्दों को लेकर सार्वजनिक बहस की मांग की है, और दावा किया है कि इन्हें आपातकाल में अलोकतांत्रिक रूप से जोड़ा गया था। वर्ष 2015 में, तत्कालीन मंत्री रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं ने "मूल प्रस्तावना" को बहाल करने का समर्थन किया था। सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार इन दो शब्दों को हटाने की मांग करते रहे हैं।

संघ हिंदू सभ्यता पर आधारित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (हिंदुत्व) का और विकेन्द्रीकृत, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का पक्षधर है।

संघ ऐसी धर्मनिरपेक्षता चाहता है, जो हिंदू पहचान को दबाए नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान न्याय की बात करे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता संघ से जुड़े या प्रशिक्षित रहे हैं। भाजपा की नीतियों और बयानों में आरएसएस की वैचारिक झलक अक्सर दिखती है, विशेष रूप से सांस्कृतिक और संवैधानिक मुद्दों पर।

भाजपा के 2014 और 2019 के घोषणापत्र में "संस्कृतिक राष्ट्रवाद" और "एकात्म मानववाद" को प्रमुखता दी गई थी।

भाजपा ने अब तक इसमें संशोधन नही किया, संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है - जो फिलहाल भाजपा के पास नहीं है। दूसरे संवेदनशील मुद्दा होने के कारण भाजपा इससे सीधे टकराव से बच रही है। राजनीतिक रणनीति के तहत पार्टी धीरे-धीरे वैचारिक बदलाव के संकेत देती रही है।

भाजपा, आरएसएस की उस सोच का समर्थन करती है कि आपातकाल के दौरान "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द संविधान में अनुचित रूप से जोड़े गए थे।

हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से प्रस्तावना को संशोधित करने की कोई विधायी कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन भाजपा बार-बार यह संकेत देती रही है कि वह इन शब्दों को पसंद नहीं करती और एक वैकल्पिक वैचारिक दृष्टिकोण को मानती है, जो हिंदुत्व, संस्कृतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर आधारित है।

चीन व पाकिस्तान "सार्क" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है।

इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (सी पी ई सी) का विस्तार अफगानिस्तान तक किया जाए। पाकिस्तान के एक अखबार के अनुसार, इस विस्तार की घोषणा से पहले, तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने "त्रिदेशीय" सहयोग को आगे बढ़ाने के व्यापक प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, इस पर सहमति जताई। बैठक बीजिंग में हुई, जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी शामिल हुए थे।

सूत्रों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ भी इसी तरह की त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित किये जाने की योजना है।

भारत ने सी पी ई सी का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि यह परियोजना पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है। नई दिल्ली चीन के "बेल्ट एंड रोड" इनिशिएटिव का भी विरोध करता है, क्योंकि इसमें सी पी ई सी भी शामिल है।

- **जैसा की विदित ही है, सार्क, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सदस्य हैं, की बैठक 2014 के बाद नहीं हो पाई है। वर्ष 2016 में इस्लामाबाद में बैठक जरुर हुई थी, पर भारत ने उरी स्थित आर्मी कैम्प पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले के कारण बैठक में भाग नहीं लिया था। तथा भारत के बाद बांग्लादेश, भूटान व अफगानिस्तान ने भी बैठक का बॉयकॉट कर दिया था।**

हालांकि तीनों देशों के बीच एक त्रिपक्षीय विदेश मंत्री तंत्र पहले से मौजूद था, लेकिन इस्लामाबाद और काबुल के बीच अफगान शरणार्थियों की जबरन वापसी को लेकर बढ़ते मतभेदों के कारण, इनकी बैठकें कुछ समय से नहीं हो रही थीं।

इस बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक-दूसरे की राजधानियों में अपने राजनयिक मिशनों को पुन: खोलने का फैसला किया है।

सूत्रों ने कहा, हाल ही में, चीन के कुनमिंग शहर में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक भी इन्हीं कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के उन अन्य देशों को इस नए संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था, जो सार्क का हिस्सा हैं।

कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, यह नया संगठन क्षेत्रीय संगठन सार्क की जगह ले सकता है, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।

सूत्रों ने कहा कि इस नये प्रस्तावित मंच में भारत को भी आमंत्रित किया जाएगा, जबकि श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देशों के इसका हिस्सा बनने की उम्मीद है।

अखबार ने कहा कि इस नए संगठन का मुख्य उद्देश्य व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय जुड़ाव को और अधिक गहरा करना है।

अखबार ने कहा कि यदि यह प्रस्ताव साकार होता है, तो यह सार्क की जगह ले सकता है, जो भारत-पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के कारण निलंबित है।

सार्क का आखिरी द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था। इसके बाद कोई सम्मेलन नहीं हुआ है।

2016 में सार्क शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में आयोजित होना था, लेकिन जम्मू-कश्मीर के उरी में उस वर्ष 18 सितंबर को भारतीय सेना के शिविर पर हुए आतंकी हमले के बाद, भारत ने "वर्तमान परिस्थितियों" का हवाला देते हुए, सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया।

इसके बाद, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी उस सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण वह रद्द कर दिया गया।

राजस्थान के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। राजेश मीणा के महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी बनने पर सवाई माधोपुर के लोग उनकी पत्नी अर्चना को शुभकामनाएं दे रहे हैं।

तेलंगाना की कैमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, 12 की मौत और 34 घायल

प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को दो लाख रु. देने की घोषणा की

संगारेड्डी, 30 जून। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सोमवार को एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई है और 34 लोग घायल हो गए हैं। हादसा पाशमिलारम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में सुबह 8:.15 बजे से 9.30 बजे के बीच हुआ। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। साथ ही तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री विस्फोट में मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि (मुआवजा) देने की घोषणा की है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौके से छह शव बरामद किए गए। वहीं, अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ मजदूरों की मौत हो गई। घटना के

- **घटना पाशमिलम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में सुबह सवा आठ से साढ़े 9 के बीच हुई, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।**
- **सूत्रों ने बताया कि घटना के समय फैक्ट्री में 100 मजदूर थे।**

वीडियो में देखा जा सकता है कि फैक्ट्री से बाहर निकले मजदूर बुरी तरह झुलसे हुए थे।

अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पासमैलारम फेज 1 क्षेत्र में एक रासायनिक कारखाने में हुए विस्फोट में एक दर्जन से अधिक श्रमिक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही 11 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने के काम में जुट गईं।एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फोट का सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है। उन्होंने मजदूरों से बात करने के बाद कहा, "विस्फोट में औद्योगिक शैड पूरी तरह उड़ गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि कुछ मजदूर हवा में उछलकर करीब 100 मीटर दूर जा गिरे।"

जिस केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ है, वहां अलग-अलग तरह के रसायन तैयार करने का काम होता है। घटना के समय फैक्ट्री में लगभग 100 मजदूर काम कर रहे थे। धमाके में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हालांकि, अब तक घायलों और मृतकों का सही आंकड़ा सामने नहीं आया है। अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही घायलों और मृतकों का सही आंकड़ा सामने आएगा।

कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक फार्मास्युटिकल कंपनी है, जो सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई), इंटरमीडिएट्स, एक्सिपिएंट्स, विटामिन-खनिज मिश्रणों और संचालन और प्रबंधन (ओ एंड एम) सेवाओं में अग्रणी प्रगति के लिए समर्पित है।

प्रशासन बचाव अभियान चला रहा है और अभी तक उन्हें घटनास्थल से कोई शव नहीं मिला है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्पाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908